

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई-नीलामी की सूचना

रामगढ़ताल परियोजना के अन्तर्गत गौतम बुद्ध द्वार (पैडलेगंज) स्थित कियास्क सं०- 01 व 07 तथा देवरिया वाईपास रोड (निकट एस०टी०पी०) स्थित कियास्क सं०-04 व 05 को ई-नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु दिनांक 30 / 04 / 2026 से दिनांक 15 / 05 / 2026 तक आनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि में आनलाइन पंजीकृत आवेदकों के मध्य दिनांक 20 / 05 / 2026 को ई-नीलामी सम्पन्न होगी। ई-नीलामी से सम्बन्धित नियम शर्तें व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है। सभी बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट में ई-नीलामी देखते रहें, अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र आनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा।



(पुष्पराम सिंह)

पी०सी०एस०

सचिव



(आनन्द वर्द्धन)


आई०एस०

उपाध्यक्ष

रामगढ़ताल परियोजना के अर्न्तगत गौतम बुद्ध द्वार (पैडलेगंज) स्थित कियास्क सं०-01 व 07 तथा देवरिया वाइपास रोड (निकट एस०टी०पी०) स्थित कियास्क सं०- 04 व 05 को ई-नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम व शर्ते निम्नवत है :-


- 1- रामगढ़ताल परियोजना के अर्न्तगत गौतम बुद्ध द्वार (पैडलेगंज) स्थित कियास्क सं०-01 व 07 प्रति कियास्क क्षेत्रफल 14.139 वर्ग मीटर तथा देवरिया वाइपास रोड (निकट एस०टी०पी०) स्थित कियास्क सं०- 04 व 05 प्रति कियास्क क्षेत्रफल 14.139 वर्ग मीटर का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से 05 वर्षों के लिए मासिक किराये पर किया जायेगा ।
- 2- कियास्क के लिए आवेदक को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए रू०-2,98,000.00 धरोहर धनराशि जमा करना होगा ।
- 3- कियास्क का न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया रू०-16,300.00 है ।
- 4- परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई-नीलामी में भाग ले सकेगा ।
- 5- निविदा की बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा ।
- 6- कियास्क आवंटन होने के पश्चात् उसे संचालित करने में असमर्थता व्यक्त करने पर सम्पूर्ण जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
- 7- कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा ।
- 8- कियास्क का किराया विलम्ब से जमा करने पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा ।
- 9- निरन्तर 04 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
- 10- किराया की धनराशि को आटोडेविट के माध्यम से जमा करना होगा, जिसके लिए किरायेदार का बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड देना होगा ।
- 11- कियास्क के 06 माह का किराया जी०एस०टी० सहित अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 12- कियास्क के 06 माह का किराया जी०एस०टी० सहित अग्रिम के रूप में जमा करके पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात् ही कब्जा दिया जायेगा ।
- 13- ई-नीलामी में असफल बोलीदाता कोउनके द्वारा जमा धरोहर धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू०-1,000.00 मात्र की कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 14- कियास्क में खाद्य पदार्थ/खिलौना/आईसक्रीम आदि का व्यापार अनुमन्य होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे (सूखा-गीला) आदि का व्यापार अनुमन्य नहीं होगा ।


राज्य
सिद्धि


सहायक सभ्यसि अधिकारी
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

- 15- कियास्क का आवंटन "जहां है जैसे है" के आधार पर किया जायेगा । निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।
- 16- कियास्क में किसी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा तथा कियास्क का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी किरायेदार द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए आवंटन/किरायेदारी उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
- 17- किसी भी शासकीय कर/जी0एस0टी0 आदि के भुगतान का दायित्व किरायेदार का होगा ।
- 18- कियास्क में विद्युत/पानी कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस-पास साफ-सफाई रखने का दायित्व आवंटी किरायेदार का होगा ।


राफेल
किफिक


सहायक सम्पत्ति अधिकारी
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर